बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–08–18/2006(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..................................

डॉ० देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मधेपुरा के विरूद्ध डॉ0 विश्वनाथ विवेक, पिता–स्वर्गीय महावीर प्रसाद, क्वार्टर न0–24 विश्वविद्यालय कैम्प, मधेपुरा का शारीरिक जॉच किए बिना दिनांक–10.03.2006 को गलत विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–298(9) दिनांक–10.03.2008 एवं संशोधित संकल्प सं0–552(9) दिनांक–30.06.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. डॉ० कुमार को राजस्थान पुलिस द्वारा गलत निशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोप में दिनांक–27.06.2006 को गिरफ्तार होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0–1001(9) दिनांक–30.08.2006 के द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं0–688(9) दिनांक–16.06.2010 द्वारा डॉ0 कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग, मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया।

3. विभागीय अधिसूचना सं0–1302(9) दिनांक–20.12.2017 द्वारा डॉ0 कुमार के विरूद्ध 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की राशि दो वर्ष तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित की गयी। परन्तु निलंबन अवधि पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामलें की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निलंबन अवधि में डॉ० देवेन्द्र कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के (दर्ज किये गये उपस्थिति के आधार पर) अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ० देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मधेपुरा के निलंबन अवधि दिनांक–30.08.2006 से 16.06.2010 तक की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता (दर्ज किये गये उपस्थिति के आधार पर) अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–08–18/2006(स्वा0) 369(9) **/पटना, दिनांकः–** 24.4.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्रीमती नीरा सिंह, पति–डॉ० (स्व०) देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मधेपुरा, पत्राचार का पता– ग्राम/मोहल्ला–मेन रोड, बनियापुर, पो०–छपरा, थाना–छपरा, जिला–सारण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/04/2025

सरकार के अवर सचिव।